# <u>डिस्कलेमर</u>

**आदेश संख्या 36/2023-24 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।**

**फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ केआईएएल-सीपी-II/2024-28**

**आदेश संख्या 36/2023-24**

सत्यमेव जयते

# भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

## कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कन्नूर (सीएनएन) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2023 से 31.03.2028) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

**जारी करने की तारीख : 28 फरवरी, 2024**


ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉमप्लेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

## 15 *प्राधिकरण के निर्णयों का सार*

### अध्याय 4 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए केआईए का टूअप

4.13.1 तालिका 15 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास के टू-अप को मानना।

4.13.2 तालिका 16 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी के टू-अप को मानना।

4.13.3 तालिका 18 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर के टू-अप को मानना।

4.13.4 तालिका 22 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

4.13.5 तालिका 36 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।

4.13.6 तालिका 39 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।

4.13.7 तालिका 42 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कराधान के टू-अप को मानना।

4.13.8 तालिका 44 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए केआईए के टू-अप के लिए एआरआर और कम वसूली को मानना और इस कमी को द्वितीय नियंत्रण अवधि के एआरआर में पुन: समायोजित करना।

### अध्याय 5: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात पूर्वानुमान

5.5.1 केआईए के लिए तालिका 49 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यात्री यातायात, एटीएम और कार्गो यातायात को मानना।

5.5.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो) को टूअप करना।

### अध्याय 6: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए केआईए का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

6.8.1 परिसंपत्ति आबंटन अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिश, आईएमजी मानदंडों के अनुरूप और ऐरा द्वारा अन्य समान हवाईअड्डों के लिए अनुमोदन किए अनुसार टर्मिनल भवन के 92:8 के अनुपात को मानना।

6.8.2 तालिका 53 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

6.8.3 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना की लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि के टू-अप करने के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

6.8.4 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों, लागत कार्यक्षमता और औचित्य के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

6.8.5 तालिका 55 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को स्वीकार करना।

6.8.6 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

6.8.7 केआईए के लिए तालिका 57 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

6.8.8 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

### अध्याय 7 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

7.6.1 सीएपीएम सूत्र के अनुसार 15.18% पर ईक्विटी की लागत को मानना।

7.6.2 अन्य सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले हवाईअड्डों के मामले में माने जा रहे ऋृण के लक्षित अनुपात के अनुरूप 48% : 52% के ईक्विटी (प्राप्ति) अनुपात के काल्पनिक ऋृण को मानना।

7.6.3 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋण की लागत को मानना।

7.6.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और ऋण के अनुपात के आधार पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% के एफआरओआर को मानना।

**अध्याय 8 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति**

8.6.1 कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तालिका 61 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि की मुद्रा-स्फीति को मानना।

**अध्याय 9: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) खर्च**

9.6.1 तालिका 80 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए ओ एंड एम खर्च को मानना।

9.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर द्वितीय नियंत्रण अवधि के दौरान हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

**अध्याय 10: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व**

10.6.1 केआईए के लिए तालिका 86 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

**अध्याय 11 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान**

11.5.1 केआईए के लिए तालिका 89 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

11.5.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर वैमानिक कर राशि को उपयुक्त ढंग से टू-अप करना।

**अध्याय 12: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता**

12.5.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए सेवा की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समायोजन को न मानना।

**अध्याय 13: द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए भूमि पर प्रतिलाभ**

13.5.1 तालिका 91 के अनुसार भूमि पर प्रतिलाभ को मानना।

**अध्याय 14 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)**

14.5.1 केआईए के लिए तालिका 94 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना।

**अध्याय 15 : द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व**

15.5.1 संलग्नक -1 (1ए, 1बी) में दिए गए टैरिफ दर कार्ड के आधार पर वैमानिक राजस्व को मानना।

15.5.2 प्राधिकरण केआईए को यह निदेश देता है कि वह ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी कार्गो हैंडलिंग और ईंधन सेवाओं के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करे और प्रत्येक लेखांकन वर्ष (31 मार्च को समाप्त) के लिए वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीसी) प्रस्तुत करे।

15.5.3 हवाई माल-भाड़ा स्टेशन (एएफएस) से कार्गो टर्मिनल पर प्राप्त बीयूपी/यूएलडी के संबंध में 30% न्यूनतर टीएसपी प्रभार मानना।

केआईए के लिए अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

## 17 *आदेश*

17.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा संलग्नक-1ए, 1बी के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर वसूली जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

17.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1ए के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

17.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

17.4 यह आदेश 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी किया जाएगा।

17.5 हवाईअड्डा प्रचालक ऐरा के दिशा-निर्देशों के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

**प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता**

**(सुयश नारायण)**
**सचिव, ऐरा**

**सेवामें,**

**श्री. दिनेश कुमार,**
**प्रबंधक निदेशक,**
**कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,**
**मेट्टान्नूर, कन्नूर -670708**

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003

2. नागर विमानन महानिदेशालय :एआईसी जारी करने के लिए